भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1025

जिसका उत्तर शुक्रवार, 22 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

संघीय न्यायपालिका प्रणाली

1025. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का भारत जैसे संघीय देश, जो राज्यों का संघ है, की एक अपरिहार्य आवश्यकता के रूप में उच्चतम न्यायालय पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए तथा राष्ट्र के सर्वोच्च हित में संघीय संतुलन पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से उच्च न्यायालयों को संविधान की व्याख्या हेतु अधिकार संपन्न करते हुए एक मजबूत संघीय न्यायपालिका प्रणाली स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ख) : जी नहीं । भारत का न्याय प्रशासन भारत के संविधान से अपनी विधिक स्वीकृति प्राप्त करता है । संविधान संघीय शासन प्रणाली को अपनाने और अपने संबंधित क्षेत्रों में केन्द्रीय अधिनियमों के अस्तित्व के बावजूद संघ और राज्य दोनों विधियों को प्रशासित करने के लिए न्यायालयों की एकल, एकीकृत प्रणाली प्रदान करता है । इसीलिए, भारत में न्यायपालिका कुछ देशों में संघीय प्रणाली के विपरित एकीकृत है ।

संवैधानिक प्रणाली सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण का उपबंध करती है, प्रत्येक के पास कार्य करने के अलग-अलग क्षेत्र हैं । सरकार की भूमिका केवल न्यायपालिका के कामकाज को सुविधाजनक बनाने तक सीमित है और जहां तक न्यायपालिका की स्वतंत्रता और स्वायत्तता का संबंध है, वह भारत के संविधान के उपबंधों में प्रतिष्ठापित है ।

****